# कार्यालय–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त, सरकारी/गैर सरकारी संस्थान

लखनऊ।

पत्रांक : मु0चि0अ0/2020 4124-32 दिनांक 27/3/2020

**विषयः–** कार्यालय, चिकित्साल एवं सार्वजनिक स्थलों पर पान मसाला की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध।

महोदय

जैसा कि अपा सभी लोग अवगत है कि कोविड–19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में फैलता है जिसकी रोक–थाम हेतु पुरे देश/प्रदेश में दिनांक 25.03.2020 से लाकॅडाउन घोषित किया गया है। पान मसाला एवं गुटखा खा कर थूकनें तथा पान मसाले का पाउच छोटा होने के कारण उसको फाड़ कर सीधे मुख में लगाकर उपयोग करने पर भी कोविड–19 महामारी के संक्रमण फैलने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये उ0प्र0 सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यालय, चिकित्सालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर इसके विक्रय एवं सेवन को प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

उक्त आदेश के पालानार्थ हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0, सेक्टर– सी, अलीगंज, लखनऊ द्वारा अपने आदेश पत्रांक संख्या– एफ.एस.डी.ए./खाद्य/1122 दिनांक 25.03.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2003 की धारा 30(2)क में आयुक्त खाद्य सुरक्षा को प्रदान किये गये अधिकारो का प्रयोग करते हुये जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत, पान मसाला एवं गुटखा के विनिर्माण भण्डारण वितरण एवं विक्रय दिनांक 01.04.2013 से ही प्रतिबन्धित है, पान मसाला एवं गुटखा पर उक्त प्रतिबन्ध का उल्लघंन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16(2)(iv) का उल्लंघन होगा, जो उक्त अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है एवं ऐसे प्रतिष्टान जो इस आदेश का उल्लंघन करतें पाये जायेंगे उनका लाइसेन्स/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य करोबार का लाइसेन्स/पंजीकरण विनियम 2011 के विनियम 2.1.8(4) के अर्न्तगत तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने एवं प्रतिष्ठान बन्द कराये जानें की कार्यवाही होगी।

भवदीय

27/3/2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0: : मु0चि0अ0/2020 4124-32 तददिनांक

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक संचारी रोगी एवं बी0वी0डी0 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
6. राज्य सर्विलान्स आई0डी0एस0पी0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ
7. जिला अधिकारी, लखनऊ।
8. जिला पंचायती राज अधिकारी, लखनऊ जिला कुष्ठ अधिकारी, लखनऊ
9. समस्त अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनऊ ।
10. समस्त अधीक्षक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ